

Attention to Matters of
Urgent Public Importance

Mr. Speaker: Order, order. Perhaps Shri Bagri may call the attention of the hon. Minister. I will give Shri Banerjee an opportunity.

available for carrying out the work. The line in question has not, at any time, been declared unsafe for running any of the trains.

Promotion on Railways

1186. Shri Nambiar: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of ad-hoc promotions were and are being ordered by Departments of the Railways;

(b) whether creations of such posts or promotions receive previous approval of the Railway Board; and

(c) what steps are being taken to put an end to such methods of promotions and to adhere to normal channels?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) No.

(b) No, this is within the competence of the General Manager concerned.

(c) Ad-hoc arrangements are made only in exigencies of service pending formation of panels on the basis of selections. Every endeavour is being made to keep the number of such cases to the barest minimum.

12.04 hrs.

MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

TRAIN—TRUCK COLLISION

Mr. Speaker: There is an adjournment motion by Shri S. M. Banerjee and Shri Ram Sewak Yadav about the train-truck collision. There is also a calling attention notice by Shri Bagri on the same subject.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): The press report says that in the collision between a goods train and a motor truck four persons were killed and two others were seriously injured.

Shri S. M. Banerjee: Since this is the second accident in the last one month, I would only request you to consider whether a discussion can be allowed on this adjournment motion.

श्री बागड़ी (हिमार) : महोदय, प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १६३ के अन्तर्गत मैं ११ मई को अविलम्बनीय लोक महत्व वे: निम्नलिखित विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाने और मंत्री महोदय से उस पर एक वक्तव्य देने की प्राप्ति करने की मूल्यना देना चाहता हूँ।

दिनांक १०-५-६२ को हरियाणा रेलवे अधिसिंग के ममीप अन्डल रेलवे स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर माल गाड़ी और मोटर ट्रक भिजने के फलस्वरूप चार आदमी उमी जगह पर मर गये और दो मरने वायल हुए, जिनमें से एक की वाद में मृत्यु हो गयी। इस घटना में जनता में गहरी चिन्ता व अद्वितीय वास है।

श्री राम सेवक यादव (वारांगंडा) अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय व्यापार वै इसमें पहल में यह निवेदन करना चाहता हूँ....

अध्यक्ष महोदय : उसमें पहले नहीं।

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): A collision occurred at a level crossing gate near Andal....

श्री बागड़ी : मैंने हिन्दी में काल प्रेसेशन किया। अगर उसका जवाब हिन्दी में नहीं होगा तो मैं नहीं समझूँगा। और अगर मैं नहीं समझूँगा तो मेरे बैठने से क्या लाभ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह नहीं समझते में उनको समझाने का यत्न करूँगा।

श्री राम सेवक यादव : माननीय सदस्य ने हिन्दी में अपना कानिग एंडेशन नोटिस दिया है और मंत्री महोदय श्री शाहनवाज खा उत्तर प्रदेश से आते हैं और वह अच्छी हिन्दु-स्तानी जानते हैं। कुछ समय पहले एक माननीय सदस्य ने जब तमिल में सवाल किया था तो उसको दूसरे माननीय सदस्य ने अप्रेजी में अनुवाद कर दिया था। मैं इस व्यवस्था का स्वागत करता हूँ। मंत्री महोदय हिन्दी में जवाब दे और जो हिन्दी नहीं जानते उनके लिये अप्रेजी में उसका अनुवाद कर दिया जाये तो अच्छा होगा।

Shri Shahnawaz Khan: Sir, the original notice of the adjournment motion was from Shri S. M. Banerjee. It was in English. I have prepared the reply in English.

Mr. Speaker: That might be read then.

श्री राम सेवक यादव : माननीय मंत्री महोदय हिन्दी में उत्तर दे और उसका अनुवाद अप्रेजी में कर दिया जाये।

Mr. Speaker: Order, order. Would he not be content after he had said what he wanted to say? Now let us hear the hon. Minister. If there is any difficulty, I have assured the House that I will interpret it or will get it done in Hindi.

Shri Shahnawaz Khan: After I have read it in English, if I have your permission I will translate it in Hindi.

Mr. Speaker: Yes.

Shri Shahnawaz Khan: A collision occurred at a level crossing gate near Andal on the Eastern Railway on 9th May 1962 between wagons and a truck.

The Down Pandabeswar Coal Pilot from Pandabeswar to Andal (with a load of 76 wagons hauled by 2 engines) which was waiting at the gate signal of the G.T. Road level crossing gate near Andal started at about

20:00 hours after the gate signal was lowered. The front portion of the Coal Pilot consisting of 46 loaded and two empty wagons with two engines in front passed the level crossing gate. Twenty-eight loaded wagons and a brake-van were left behind. The Leverman on duty at the gate being unaware that the main train had passed in complete opened the gate for road traffic. Shortly afterwards, the rear portion of the Coal Pilot consisting of 28 wagons and a brake-van started rolling towards Andal. The Leverman who noticed this tried to close the gate again. While he was closing the east side gate, an empty truck dashed against the gate and came on the line resulting in collision between the truck and the rolling wagons at about 20:03 hours. The truck was smashed.

Four out of the six persons in the truck were killed on the spot. The remaining two who sustained severe injuries were removed to Andal for further treatment. One out of these two injured expired later in Andal and the other has been taken to the Asansol General Hospital for treatment.

The local railway officers of Asansol Division reached the site of accident shortly afterwards to supervise rescue operation.

The Additional Commissioner of Railway Safety, Calcutta is inquiring into the cause of the accident.

Shri S. M. Banerjee rose—

श्री शाहनवाज खाजा एक ट्रक रेलगाड़ी और ट्रक में ६-५-६२ को हुई जब कि पंडावेश्वर कोल पायलेट पंडावेश्वर में अंदर ७६ वैगम ले जा रहा था और जिसको कि दो डंजन आगे लगे हुए थे। लेविल क्रैमिंग गेट का जो मिगनल है उसके ऊपर गाड़ी खड़ी हुई और जब मिगनल डाउन हुआ तो वह गाड़ी वहाँ से चली। करीबन शाम बे: ८ बजे जो अगला हिस्सा था जिसमें ४६ वैगम थे वह हिस्सा और दो डंजन आगे निकल गये और २८ वैगम और बैकवान

[श्री शाहनवाज खां]

वहीं पीछे रह गये। जो लोकरमन नेबिल क्रीसिंग गेट वे: ऊपर ड्रूटी पर था उसने समझा कि पूरी गाड़ी निकल चुकी है और उसने दर्वाजा खोल दिया। इस असे में जो २८ बैंगस पीछे रह गये थे वह प्रदल की तरफ चलना शुरू हो गये। लीकरमन ने देखा कि वह बैंगस आ रहे हैं, दौड़ कर उसने गेट बन्द करने की कोशिश की लेकिन वह एक ही तरफ का गेट बन्द कर पाया था कि एक खाली ट्रक आ गया और उनके बीच में टक्कर हो गई। ४ आदमी ६ में से जो उस ट्रक में सवार थे वहीं पर मारे गये बाकी दो अस्पताल में गये। उनमें से एक बाद में मर गया। दूसरे को आमनसोल अस्पताल में भेज दिया गया। मुकामी रेलवे के अफसरान आमनसोल डिवीजन में जो थे फौरन मौज़े पर पहुंच गये। ऐडीशनल कमिशनर आफ रेलवे एकटी, कलकत्ता, मौजे पर पहुंच गये हैं और वह उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं।

Mr. Speaker: Shri Bagri may put a question.

श्री बागड़ी अन्यथा महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से नींव ताते जाना चाहूँगा। पहले चौंक तो यह कि जो गेट खुला रहा तो यह रेलवे को गलती थी और उसकी विना पर जो एक्सीडेंट हुआ और आदमी मारे गये तो क्या रेलवे ज ने उन मरने वाले परिवारों का कुछ मुआवजा देने की वावत निश्चय किया है? मुआवजा देने के बारे में मोत्रा जा रहा है या नहीं?

दूसरी बात यह कि जिन्हान नुकसान रेलवे ज का हुआ है उसके बारे में कोई व्यापार नहीं दिया गया है।

आगे वे: निये ऐसी जो खतरनाक जगह हैं उनके ऊपर या नीचे पुल बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है या नहीं?

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैंने अर्ज किया है ऐडीशनल कमिशनर आफ रेलवे ज

सेफटी इस दुघंटना की जांच कर रहे हैं। जब उनकी रिपोर्ट मिल जायेगी तो किर उन उन तमाम सवालों का जा जाएगा कि जो लोग मारे गये हैं उनकी कैम्बिज को कोई मुआविजा मिलेगा या नहीं, या दुघंटना की जिम्मेदारी किस की है, यह तमाम चीजें जो हैं, उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद, उनके ऊपर गीर किया जायगा।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, खुद रेलवे ज वे: आदमी

Mr. Speaker: Order, order. He has put the questions. Let him receive the answers now.

श्री शाहनवाज खां : रेलवे क्रीसिंग के ऊपर ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बनाने के बारे में रेलवे मिनिस्ट्री की जो पालियो है उसका सब लोग अच्छी तरह में जानते हैं। उसमें कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नरमेंट को देना पड़ता है। हमने खुला एलान किया हुआ है कि जहां स्टेट गवर्नरमेंट अपना हिस्सा देने को तयार हो रेलवे मिनिस्ट्री नेबिल क्रीसिंग गेट और ओवर ब्रिज बनाने के लिए हर बत तयार है।

श्री राम सेवक यादव : मंत्री महोदय ने अभी भी कहा और जब रेल मंत्रालय पर और जब रेल मंत्रालय पर बहस हो रही थी तब भी यही जवाब दिया था कि राज्य सरकारों को अगर पैसा मिल जायेगा तो यह बना दिये जायेंगे। मैं जाना चाहता हूँ कि जब इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं तो मंत्री महोदय या रेल मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों से महायता लेने और उन पर पुल बनाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है या की गई है?

श्री शाहनवाज खां : हमने सब राज्य सरकारों को लिखा है कि जहां जहां वह

Attention to Matters of
Urgent Public Importance

श्री राम सेवक यादव : वह तो कीर्लिंग एटेंशन मोशन था। यह तो ऐडर्जनेंमेंट मोशन है।

लेबल क्लॉसिंग गेट्स के ऊपर ब्रिजेज बनवाना चाहते हैं वह हमको लिखें और बशर्ते कि वह अपना हिस्सा देने को तैयार हों हम इस चीज़ की मज़बूरी देंगे।

Shri S. M. Banerjee: Only a month back a serious accident took place, of the same nature near Dhanbad in which according to the Minister only 19 persons died but according to our information and the information given in the press nearly 36 people died. I therefore want to know whether Government propose to have a judicial enquiry into the whole thing. This enquiry by a railway officer is not enough, because this is criminal negligence on the part of the Railway Administration on which people are dying. We do not want this experiment....

Mr. Speaker: Order, order. He has put his question whether it is proposed to have a judicial enquiry.

Shri S. M. Banerjee: As I requested you, Sir, this is urgent enough to warrant a discussion.

Mr. Speaker: And therefore I have allowed it. Because it was urgent enough I have allowed it, and now he should hear the answer.

Shri S. M. Banerjee: I want to know whether a judicial enquiry will be held or not, whether the enquiries will be made by a judicial officer.

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय

.....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर, और आप नहीं कर सकते।

श्री राम सेवक यादव : मेरा भी नाम है और मने भी ऐडर्जनेंमेंट मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने साल करने की इजाजत दी है।

Shri Shahnawaz Khan: The Additional Commissioner of Railway Safety is an officer who works under the Ministry of Communications. He is quite independent of the Railway Ministry and his enquiry is always independent and unfettered.

Mr. Speaker: He wants to know whether there is a proposal that after this enquiry any judicial enquiry is going to be set up or not.

Shri Shahnawaz Khan: No, Sir.

Shri S. M. Banerjee: Sir, this matter is urgent enough to warrant a discussion in the House....

Mr. Speaker: Order, order. The hon. Member may kindly resume his seat. Now, what does Shri Ram Sewak Yadav want to say?

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटनायें रोज घटती हैं और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि धनबाद में हुई और ५ तारीख को रेलगाड़ी के अन्दर चोरी हुई और हत्यायें होती रहती हैं। और आज की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए केवल मंत्री महोदय से कौलिंग एटेंशन, शीट नॉटिस बवेंचन या साधारण बवेंचन के जरिए जवाब लेना और उनका यह कह देना कि जांच होगी, इससे श्रीमन्, काम नहीं चलेगा। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक इस पर बहस न हो और मंत्रालय को इस पर कड़ैम न किया जाय ताकि इस तरह की घटनायें न हों, काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विषय पर बहस चलाई जाय....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। पहली चीज तो मुझे यह कहनी है जो कि यह हिन्दी और अंग्रेजी के सवाल पर हर

[अध्यक्ष महोदय]

बहुत जोर दिया जाता है वह मुनासिब नहीं है कोणिश यह नहीं की जाती कि काम किसी तरह मे बढ़े मगर जिद इस बात की की जाती है कि जवाब या सवाल हिन्दी में हो या इस में हो । मैंने देखा कि कभी जब अंग्रेजी में जवाब दिया जा रहा था तो बागड़ी बहुत ध्यान में कान में ईयरफोन लगाये सुन रहे थे और मैं उससे यही नतीजा निकाल सकता हूँ कि वह उसको समझ रहे थे । इसके अलावा उन्होंने अभी परसों या चौथ जो अर्जी दी थी वह अंग्रेजी में लिख कर दी थी और उससे भी यही नतीजा निकलता है कि माननीय सदस्य अंग्रेजी समझते हैं लेकिन वह इसकी कोशिश नहीं करना चाहते कि जो बात कही जा रही है उसको समझें जाए वह अंग्रेजी में हो या हिन्दी में क्योंकि हर एक मेम्बर को यह हक् हासिल है कि चाहे तो वह हिन्दी में बात करे या अंग्रेजी में करे । अब दूसरा कोई माननीय सदस्य उसको नहीं समझता कि उनको जल्दी से जल्दी समझने का यत्न करना चाहिए । उसे सीखना चाहिए और समझने की कोणिश करना चाहिए ताकि वह मतलब समझ जाये । अब अगर किसी माननीय सदस्य को अभी समझ में नहीं आता है तो वर्क की प्रोप्रेस के लिये जो उनके नजदीक मेम्बर बैठे हों उनसे समझने की कोशिश करें । अगर यहां ज्यादा जोर इस बात पर होता है कि इसमें नहीं दूसरी भाषा में जवाब दिया जाये । अब इस बेकार की जिदबाजी में कितना समय बर्बाद होता है । एक-एक मिनट का पालियामेंट का जो समय है उस पर हम कितना कोम का रुपया खर्च करते हैं, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए

श्री राम सेवर यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही आवश्यक है और

अध्यक्ष महोदय : अब माप मुझे अपनी बात पूरी करने की इजाजत देंगे या नहीं ।

श्री बागड़ी : स्वीकर साहब, मुझे जाती जवाब देना है

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । यह तो मुझे समझ में आ सकता है कि अगर मेम्बर खड़ा हो और स्पीकर बीच में खड़ा हो जाए तो वह बैठ जाये मगर यह मेरी समझ में नहीं आया कि स्पीकर कुछ कह रहा है और बीच में मेम्बर खड़ा हो जाये और यह कहे कि पहले मैं खत्म करूँगा । अब यह तो आप जरा ध्यान रखें । अस्त्रिकर कुछ तो रूल्स होने चाहिए जिन बैठक मूलाधिक हम अपना यहां काम चलायें ।

अब दूसरा सवाल यह आया कि उन्होंने ऐडजानर्मेंट मोशन के दो नोटिस दिये हैं । इनके सिवाय कालिंग एटेंशन नोटिस भी हमारे सामने था, जो भी वाक्यात गवर्नर्मेंट के पास मौजूद थे इस बबत वह हमारे सामने आ गये । इनक्वायरी इसके बारे में होनी है । सवाल अब यह पैदा होता है कि क्या अभी इस पर डिस्केशन करने से कोई नये वाक्यात इस बबत सामने आ सकते हैं और क्या डिस्केशन से इस बबत कोई फायदा होगा ? जब कि इसमें अभी हमें यह पता नहीं है कि फेल्योर कहां है ? यह चीज इनक्वायरी के नतीजे से पता चलेगी । आज न तो मेम्बर साहब के पास वाक्यात हैं और न ही गवर्नर्मेंट के पास हैं जिससे कि मैं आज इस बारे में बहस की इजाजत दूँ और हाउस का कीमती बबत सर्फ किया जाये । चूंकि और कोई वाक्यात इस बबत सामने नहीं हैं इस बास्ते मैं अपनी मंजूरी ऐडजानर्मेंट मोशन पर नहीं देता । कालिंग एटेंशन नोटिस जो था उस पर हमने जो इनफार्मेशन गवर्नर्मेंट के पास मौजूद थी, वह ले ली है ।

I am sorry I cannot give my consent to these adjournment motions.

3933 Motion for Adjournment VAISAKHA 21, 1884 (SAKA) Calling 3934
and Calling Attention to
Matters of Urgent
Public Importance

Shrimati Renu Chakravarty (Bar-rackpore): I have one submission to make. We have had two accidents one after another. The earlier accident had also resulted in an enquiry departmentally. Here, again, we are having an enquiry: not a judicial enquiry as has been echoed in this House earlier. It is a very serious accident: 28 wagons remaining and 46 going away. It is serious enough to warrant that this House takes notice of it and makes our feelings clear about the need for a judicial enquiry.

Mr. Speaker: Has the hon. Lady Member any more facts to disclose beyond what has been said here just now?

Shri Renu Chakravarty: My point is that we had one accident which was followed by a departmental enquiry. Within two weeks or three weeks, we have a second accident. The earlier discussion was also stopped on the ground that there was going to be just an enquiry. Again, this has happened. I want that there should more enquiry into this matter of a judicial kind so that we really find where the trouble lies. That is what I would urge upon you.

Mr. Speaker: In a nut shell, the question comes to this that there is demand that there ought to be a judicial enquiry.

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): I would add that there is a definite difference between a judicial enquiry and the other enquiry. I was one of those who participated in a judicial enquiry where a member of the public will have an opportunity to give evidence. Otherwise, in a departmental enquiry, there is no such thing.

Mr. Speaker: I was now just called upon to decide whether I should give my consent to the adjournment motion. The thing that is now brought up is that a judicial enquiry is necessary. No other Member has now disclosed that he is in possession of any other facts beyond what has now

Attention to Matters
of Urgent Public
Importance

disclosed here. How can I give my consent to the adjournment motion? That is a different matter. After this enquiry is completed, if a discussion is needed or required by Members, certainly it would be a question for consideration. I will consider if there are a series of accidents that Members might have an opportunity to discuss that.

Shri Nambiar: It would be prejudiced.

Mr. Speaker: Not that. I will now pass on to the Calling Attention Notice. Shri Bishanchander Seth.

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय,

Mr. Speaker: Shri Bishanchander Seth.

12.22 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

WHEREABOUTS OF PHIZO AND REPORTED MOVEMENT OF ANOTHER GROUP OF HOSTILE NAGAS TO PAKISTAN

Shri Bishanchander Seth (Etah): Under Rule 197, I beg to all the attention of the Prime Minister to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

The reported arrival of Mr. Phizo in East Pakistan and the march of another group of hostile Nagas to Pakistan.

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): Sir, it is difficult for me to give any very definite information about Mr. Phizo. Our information is that on the 9th of May, he was to have left London for Geneva. He did not, as a matter of fact, leave that day: not by the time he was supposed to have left. He is supposed to go to Geneva to meet the International Red Cross people as well as some In-